न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—15/2019 (2019/00149) वादपत्र

अनवान

1. श्यामलाल आत्मज गंगाराम कुमावत निवासी धूलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. बालु आत्मज खुमा दरोगा निवासी धूलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा आत्मज खुमा दरोगा निवासी धूलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता वादी
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 20.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम धूलखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1256 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1257 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आ.चा, आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1260 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1261 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1262 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1263 रकबा 0.21 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 195 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ पेश है। वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे वादी वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित आराजियात में आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आ.चा. को शामलाती रखते हुए शेष आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा का जरिये मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रक[illegible]क 01.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये [illegible] पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 उपस्थित होकर अपना [illegible] अलग [illegible] का निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 फोरमल पक्षकार है जिससे वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया।

इस प्रकरण में वादी अधिवक्ता दौराने सुनवाई उपस्थित जिसमें वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कहा कि वादवर्णित कृषि आराजियात में आराजी संख्या 1258

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:32 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.02 है0 गे.मु.आ.चा. को शामलाती रखते हुए शेष आराजियात में वादी का 1/3 हिस्से का जरिये मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2021 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धूलखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1256 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1257 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आ.चा, आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1260 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1261 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1262 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1263 रकबा 0.21 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि में आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आ.चा. को शामलाती रखते हुए शेष आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 05.04.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम धुलखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 264 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1260 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1263/1 रकबा 0.0466 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4166 है0 भूमि मोहनीदेवी पत्नि सुवालाल रावणा राजपूत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1256 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1257 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1261/1 रकबा 0.0867 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4167 है0 भूमि बालु पिता खुमा दरोगा सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1262 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1261/2 रकबा 0.0633 है0, आराजी संख्या 1263/2 रकबा 0.1634 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4167 है0 भूमि सुवा पुत्र खुमा रावणा राजपूत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 भूमि शामलाती बदस्तूर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को लिखा जाकर में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:32 IST
Reason: SelfAttested

20/04/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–15/2019 (2019/00149) वादपत्र

अनवान

1. श्यामलाल आत्मज गंगाराम कुमावत निवासी धूलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. बालु आत्मज खुमा दरोगा निवासी धूलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा आत्मज खुमा दरोगा निवासी धूलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम धुलखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 264 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1260 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1263/1 रकबा 0.0466 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4166 है0 भूमि मोहनीदेवी पत्नि सुवालाल रावणा राजपूत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1256 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1257 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1261/1 रकबा 0.0867 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4167 है0 भूमि बालु पिता खुमा दरोगा सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1262 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1261/2 रकबा 0.0633 है0, आराजी संख्या 1263/2 रकबा 0.1634 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4167 है0 भूमि सुवा पुत्र खुमा रावणा राजपूत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 20.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

20/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:32 IST
Reason: SelfAttested